हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

बुधवार, 28 अगस्त, 2019/6 भाद्रपद,1941 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए

   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (1) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19;

   (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, निदेशक (अभियोजन), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:गृह(जी)-ए(3)-1/2010 दिनांक 24.01.2019 व 15.02.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.02.2019 व 20.04.2019 को प्रकाशित; और

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुभागपाल (कम्प्यूटिंग), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:मुद्रण(बी)10-19/2010 दिनांक 15.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.07.2019 को प्रकाशित ।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **49वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **50वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **51वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का **52वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

(v) समिति का **53वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का **54वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का **55वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(viii) समिति का **56वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2016 के ऑडिट पैरा संख्या: 3.11 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति के **14वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना छठा कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. <u>विधायी कार्य</u> :

<u>(I) सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना</u>

(i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 34) का संशोधन करने और अधिनियम के अधीन 24 सितम्बर, 2011 को या इसके पश्चात् की गई कोई बात या कार्रवाई और जारी की गई अधिसूचनाओं आदि के विधिमान्यकरण के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 10)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 11)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(iii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या: जी0एस0आर0 926(ई) तारीख 29 दिसम्बर, 2014 को विखण्डित करते हुए अधिसूचना संख्या: जी0एस0आर0 529(ई) तारीख 26 जुलाई, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया है, द्वारा विनिश्चित मामलों और इसके समक्ष लम्बित आवेदनों को अन्तरित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण)विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 12)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019
(2019 का विधेयक संख्यांक 8)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019
(2019 का विधेयक संख्यांक 9)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) **दिनांक 27 अगस्त, 2019 को नियम-130 के अन्तर्गत हुई चर्चा का माननीय मुख्य मन्त्री उत्तर देंगे:**

"प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन् व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

(2) **श्री राकेश पठानिया,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"**World Bank Funded Horticulture Development Project** पर यह सदन विचार करे।"

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री राम लाल ठाकुर,** दिनांक 20 अगस्त, 2019 को दैनिक जागरण समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक **' निगम के स्टोर से गेहूं लोड करता पकड़ा दुकानदार'** से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री राकेश जम्वाल,** सुन्दरनगर में बी0एस0एल0 प्रोजैक्ट से निकलने वाली शिल्ट से गावों के लोगों की ज़मीन को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(3) **श्री नरेन्द्र बरागटा,** जिला शिमला के ठियोग की पराला सब्जी मण्डी एवं अन्य मण्डियों में सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर **कृषि मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

7. <u>नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:</u>

(1) **श्री जगत सिंह नेगी,** "दिनांक 20 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1189 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

(2) **श्रीमती आशा कुमारी,** "दिनांक 26 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1397 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगी ।"

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक: 27 अगस्त, 2019 **सचिव ।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)